91वीं इंटरपोल महासभा

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** और **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)** के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने **वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित 91वीं इंटरपोल महासभा** में सदस्य देशों से **अपराध, अपराधियों** और **अपराध की आय** को सुरक्षित पनाह देने से इनकार करने का आग्रह किया।

- भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित **अपराधियों** और **भगोड़ों** को इंटरपोल चैनलों के बढ़ते लाभ एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर संबंधों के माध्यम से सफलतापूर्वक वापस लाया गया है।

91वीं इंटरपोल महासभा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **91वीं** इंटरपोल महासभा **के दौरान वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने,** ऑनलाइन बाल यौन शोषण **से निपटने तथा इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिये सहयोगात्मक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव पारित किये गए।**
- प्रतिनिधिमंडल ने **संगठित अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन, कट्टरपंथी विचारधारा के ऑनलाइन प्रसार और साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों** के निपटान के लिये समन्वित रणनीतियों पर विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की।
- उन्होंने इन अपराधों की **यथाशीघ्र रोकथाम की भी वकालत** की।
- प्रतिनिधिमंडल ने **इंटरपोल के विज़न 2030 को अपनाने और इंटरपोल फ्यूचर काउंसिल की स्थापना का समर्थन** किया।

इंटरपोल

परिचय

- **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- **स्थापना:** वर्ष 1923
- **सदस्य राज्य:** 195
  - भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **मुख्यालय:** लियॉन, फ्राँस
- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **विशेष निदेशालय - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।**
- **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
  - भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

CBI क्या है?

- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** भारत की प्रमुख पुलिस जाँच एजेंसी है।
    - यह **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **लोकपाल** को सहायता प्रदान करती है।
- यह भारत सरकार के **कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग** के अधीक्षण के तहत कार्य करती है।
- यह भारत में **नोडल पुलिस एजेंसी** भी है जो **इंटरपोल सदस्य राष्ट्रों** की ओर से **अन्वेषण** का समन्वय करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/91st-interpol-general-assembly